रेल दावा अधिकरण, अहमदाबाद पीठ,अहमदाबाद के समक्ष

कोरम : श्री विजयंत सिंह, माननीय सदस्य)न्यायिक)

श्री राजकुमार मिनोचा सदस्य (तकनीकी)

मामला संख्या. OA(IIu)/ADI/2022/0098

दायर करने की तारीख: 17.11.2022

निर्णय की तारीख: 12.10.2023

1. कमला देवी w/o बृजा राय, उम्र 67 वर्ष
   (मृतक की पत्नी)

   पता: छोटका मँझा,सिवान, बिहार-841243

2. जयराम सिंह s/o बृजासिंह राजपूत, उम्र 58 वर्ष.
   (मृतक का पुत्र)

   पता: 93, नवा गरीबनगर, अरुनेश सोसाइटी, रखियाल बापुनगर, अहमदाबाद-380024

3. यशवंत सिंह काकन s/o बृजा राय, उम्र 62 वर्ष .
   (मृतक का पुत्र)

   पता: छोटका मँझा, सिवान, बिहार-841243

4. धनंजय s/o बृजा राय, उम्र 53.
   (मृतक का पुत्र)

   पता: छोटका मँझा, सिवान, बिहार-841243

5. शकुंतला देवी w/o संतोष सिंह, उम्र 38.
   (मृतक की पुत्री)

   पता: नोनार, कपरदार,भाटपार रानी, देवरिया उत्तर प्रदेश -274702

6. धुरूप कुमार सिंह, s/o बृजा राय, उम्र 38.
   (मृतक का पुत्र)

   पता: छोटका मँझा,सिवान ,बिहार-841243

7. तारामती देवी w/o सुरेश राय, उम्र 59.
   (मृतक की पुत्री)

   पता: बलवा, सिवान, साहिपुर, बिहार-841243. .. आवेदनकर्ता

रेल दावा अधिकरण
अहमदाबाद पीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

-बनाम-

भारत संघ, जरिये महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे, चर्चगेट,
मुंबई– 400020. …….विपक्षी

उपस्थित : श्री एम. एस. क्षत्रिय, आवेदकगण के अधिवक्ता.
सुश्री रुचिता जैन विपक्षी के अधिवक्ता.

दावा रु. 8,00,000/-

अवार्ड

श्री विजयंत सिंह, माननीय सदस्य (न्यायिक):

प्रार्थीगण ने यह क्लेम याचिका रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल अधिनियम की 1987 -धारा16 और रेल अधिनियम की 1989धारा-124-A, 125और 123 (c)(2) के तहत बृजा जगदीश राम (जिसे आगे मृतक शब्द से संबंधित किया जाएगा) की आकस्मिक मृत्यु से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की है।

2. क्लैम-याचिका के अनुसार 19.11.2021 को मृतक, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आरक्षित रेलवे टिकिट के साथ गोरखपुर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन संख्या 19490 अप कोच संख्या S/9 में यात्रा कर रहा था और अनास- बोरडी स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिर गया और चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

3. क्लेम याचिका के साथ लाश सुपुर्द की रशीद, वर्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं प्रार्थीगण पहचान संबंधी पेन, आधार, बैंक पासबुक की प्रतियाँ दायर की है।

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

4. रेस्पोंडेंट रेलवे प्रशासन ने प्रार्थीगण के क्लेम प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये मुख्य रूप से यह आपत्ति ली है कि मृतक संभवतः रात्री के समय चलती ट्रेन के दरवाजे पर आकर अनाधिकृत रूप से दरवाजे पर खड़ा हो गया होगा जो चलती ट्रेन से गिर गया होगा मृतक का कृत्य रेल अधिनियम की धारा 156 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है इसलिए आवेदकगण रेल प्रशासन से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोंडेंट ने जवाब के साथ DRM रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट व RPF एवं GRP द्वारा इस प्रकरण में की गई जांच एवं संबंधित दस्तावेज़ आदि प्रस्तुत किए गए।

5. दोनों पक्षो के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14/03/2023 को निम्न विवाधक कायम किए गए।

विवाधक

1. Whether the deceased was travelling on a valid Railway journey ticket and was a bonafide passenger of the train in question at the relevant time?

2. Whether the deceased met with an untoward incident due to fall from passenger carrying train, suffered injuries and died as a result thereof and the present case is covered under the definition of section 123 (c) (2) of the Railway Act. 1898?

3. Whether the applicants are the sole dependents of the deceased and are entitled to compensation as claimed, as per Section 123(b) of the Railways Act, 1989?

4. To what Relief?

6. क्लैम याचिका के समर्थन में प्रार्थी ने AW-1 के रूप में आवेदक संख्या 3 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज लाश की सुपुर्दगी की रसीद Exh.A/1, घटना

स्थल का पंचनामा - Exh.A/2 इंक्वेस्ट पंचनामा - Exh.A/3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट - Exh.A/4, रेल यात्रा ई टिकिट- Exh.A/5, मेमो- Exh.A/6, वर्धी- Exh.A/7, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र - Exh.A/8, आवेदक संख्या 2 का आधार कार्ड व बैंक पासबुक- Exh.A/9 से Exh.A/10, आवेदक संख्या 1 का राशन कार्ड- Exh.A/11, आवेदक संख्या 2 से 7 का आधार कार्ड व बैंक पास बुक - Exh.A/12 से Exh.A/28, दस्तावेज़ प्रदर्शित कराये । प्रार्थी संख्या 3 का न्यायालय द्वारा धारा 5.4.1 रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित (प्रतिकर) संशोधन नियम 1990 के तहत परीक्षण किया गया एवं रेस्पोंडेंट द्वारा गवाह की प्रतिपरीक्षा की गई ।

7. रेस्पोंडेंट ने इस प्रकरण मे कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की केवल DRM रिपोर्ट प्रस्तुत करी है।

<u>जाँच परिणाम -</u>

8. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारा विवाधकों पर निर्णय निम्नानुसार है ।

विवाधक संख्या 1

9. प्रार्थीगण ने अपनी क्लैम याचिका में जाहीर किया है कि मृतक अपने परिजनो के साथ दिनांक 19/11/2021 को गोरखपुर से अहमदाबाद की यात्रा ट्रेन संख्या 19490 अप से आरंभ करी और उसके पश्चात जब ट्रेन दिनांक 20/11/2021 को रतलाम स्टेशन पर पहुंची जिसमे सभी परिजन खाना खा कर सो गए दिनांक 21/11/21 को जब वह अहमदाबाद पहुंचे तब उन्हे पुलिस के द्वारा यह सूचना दी गई कि मृतक की लाश अनास-बोरडी स्टेशन के बीच मिली है वो उसे सिविल हॉस्पिटल दाहोद ले गए है । मृतक यह यात्रा वैध टीकीट Exh A/5 लेकर कर रहा था मृतक ट्रेन

सत्यमेव जयते
रेल दावा अधिकरण
अहमदाबाद पीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

का बोनाफाइड यात्री था। रेस्पोंडेंट ने DRM रिपोर्ट के निष्कर्ष मे यह माना है कि मृतक अपने परिवार के साथ ट्रेन संख्या 19490(GKP-ADI) में अपने परिवार के पाँच सदस्य के साथ PNR संख्या 2707163427 टिकट पर कोच संख्या S/9 की बर्थ संख्या 30 पर यात्रा कर रहा था। रेस्पोंडेंट द्वारा मृतक का PNR टिकट पर यात्रा का तथ्य स्वीकार किया गया है। धारा 2(29) रेलवे एक्ट 1989 में पेसेंजर की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है " यात्री से अभिप्राय किसी विधि मान्य पास या टिकट से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है"।

10. रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थी को PNR पर यात्रा करने का तथ्य स्वीकार किया गया है इसलिए मृतक का सदभावी यात्री होना प्रमाणित है इसलिए यह विवाधक प्रार्थीगण के पक्ष में और रेस्पोंडेंट रेलवे के विरुद्ध साबित माना जाता है।

सत्यमेव जयते
रेल दावा अधिकरण
अहमदाबाद पीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

विवाधक संख्या 2

11. प्रार्थीगण ने अपनी क्लेम याचिका मे यह अंकित किया है कि 19/11/21 को मृतक यात्री आरक्षित रेलवे टिकट के साथ गोरखपुर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन संख्या 19490 अप से वैध टिकट के साथ कोच संख्या S/9 में यात्रा कर रहा था। ट्रेन दिनांक 20/11/21 को रतलाम स्टेशन पर पहुंची उसके पश्चात सभी परिजन खाना खा कर सो गए। कुछ समय के बाद मृतक लघु शंका के लिए गया और काफी समय के बाद वापस नहीं लोटा तो अन्य परिजन ने उठ के देखा कि ट्रेन के दोनों दरवाजे खुले हुये थे और उन्होने मृतक को जब ट्रेन में नहीं पाया तो इन्होने ट्रेन के टीटीई को इसकी सूचना दी। पुलिस के द्वारा उन्हें यह सूचना दी गई कि एक यात्री अनास-बोरडी स्टेशन के बीच पड़ा हुआ मीला है और चौटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है मृतक के परिजन द्वारा दाहोद सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद पहचान

करी गई एवं क्लैम याचिका के साथ लाश सुपुर्द की रसीद, दुर्घटना स्थल का पंचनामा, इक्वेशट पंचनामा, पोस्टमार्टम, टिकिट तुरंत गाड़ी संदेश, वर्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थीगण पहचान संबंधी पेन,आधार, बैंक पास बुक की प्रतियाँ ExA/1 से Ex A/26 दायर की है।

12. इन तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी संख्या 3 यशवंत सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में दस्तावेज़ A1 से A26 प्रदर्शित किया है एवं रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने गवाह से प्रतिपरीक्षा की। रेस्पोंडेंट ने बहस के दौरान मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि मृतक अनधिकृत रूप से चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा कर रहा था इसलिए वह स्वयं की गलती से दुर्घटनाग्रस्तहुआ है इसलिए रेस्पोंडेंट प्रार्थिगण क्षतिपूर्ति अदा करने के जिम्मेदार नहीं है।

13. DRM रिपोर्ट के अनुसार जब मृतक को ट्रेन का सदभावी यात्री माना गया है तब ट्रेन में यात्रा करते समय उसके साथ अनेपक्षित दुर्घटना हुई है जैसे की माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चयक भारत संघ बनाम रीना देवी AIR 2018(SC) 2362 में अवधारित किया है:-

> *"Victim will be entitled to compensation and will not fall under proviso to Section 124A merely on plea of negligence of victim as contributing factor."*

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य विनिश्यचक जमीला व अन्य बनाम भारतसंघ अपील संख्या 1184/03 निर्णय दिनांक 27/08/10 में निर्धारित किया है कि:-

> "*the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the Railway itself as negligence. Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A. A criminal act envisaged under clause (c) must*

> *have an element of malicious intent or mensrea. Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act".*

15. इस प्रकरण में किए गए अनुसंधान, DRM रिपोर्ट के निष्कर्ष व गवाह के बयानो से यह स्पष्ट साबित होता है कि मृतक ट्रेन का सद्भावी यात्री था व यात्रा के दौरान अनेपक्षित दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हुई है । यह घटना धारा 124 A रेलवे अधिनियम 1989 के परन्तुक (क) से (ङ) के अंतर्गत नहीं आती है ।इसलिए विवाधक संख्या 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व रेस्पोंडेंट के विरुद्ध तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 3 व 4 के संबंध में

16. आवेदक संख्या 1 मृतक की पत्नी है, आवेदक संख्या 5 और 7 मृतक की विवाहित पुत्रियाँ हैं और आवेदक संख्या 2, 3, 4 और 6 मृतक के पुत्र हैं और वे मृतक के आश्रित/कानूनी प्रतिनिधि हैं। इसके समर्थन में, आवेदकों ने आश्रितता के संबंध में दस्तावेज A/11 यानी मृतक के राशन कार्ड, A/09 से A/28 यानी चुनाव कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आवेदकों के राशन कार्ड के माध्यम से दायर किए हैं।

17. यह दस्तावेज पर्याप्त रूप से साबित करते हैं कि आवेदकगण मृतक के कानूनी आश्रित प्रतिनिधि है । मृतक के साथ संबंध के बिन्दु पर आवेदकों के साक्ष्य को विपक्षी रेलवे ने चुनोती नहीं दी । इसके विपरीत, रेस्पोंडेंट रेल प्रशासन ने यह दर्शाने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वर्तमान आवेदक मृतक के आश्रित नहीं हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक अधिनियम की धारा 123 (b) के अंतर्गत मृतक के कानूनी प्रतिनिधि है । इसके अतिरिक्त मामले के लंबित रहने के दौरान मृतक पर अपनी आश्रित निर्भरता साबित करने के लिए अन्य कोई भी पीठ

के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है । इसलिए विवाधक संख्या 3 भी प्रार्थीगणके पक्ष में तथा रेस्पोंडेंट के विरुद्ध तय किया जाता है ।

18. उक्त तथ्यो एवं परिस्थिति में आवेदक दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित करने में पूर्णतया सफल हुआ है कि मृतक की मृत्यु रेल यात्रा के दौरान घटित अनपेक्षित घटना के कारण हुई है। इसलिए हम यह निर्णीत करना उचित समझते हैं कि सभी आवेदक मृतक पर आश्रित हैं और Railway Accidents and Untoward Incident (Compensation) नियम 1990 के Part I Schedule Appendad Rule-3(3) जिसे दि.22.12.2016 को संशोधित किया गया, के तहत रु 8,00,000/- क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।

19. तथ्यों के आधार पर और इस मामले की परिस्थितियों में, हमें नीचे दिए गए अनुसार मुआवजा देना उचित लगता है;

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

आदेश

20. क्लैम याचिका को अनुमत किया जाता है । प्रतिवादी रेलवे आवेदकों को इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विभाजन के अनुसार मुआवजे के रूप में रु.8,00,000/- (आठ लाख रुपए) की राशि का भुगतान करेगा । दी गई राशि पर घटना की तिथि अर्थात 21/11/21 से इस आदेश की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा । यदि प्रतिवादी रेलवे उपर्युक्त निर्धारित समय से 30 दिन के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गई राशि पर

घटना की तारीख से मुआवजा प्राप्ति की तारीख तक 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा।

21. प्रतिवादी रेल प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आरसीटी/अहमदाबाद की रजिस्ट्री के पास ब्याज सहित पूरी राशि जमा करें। इसके अलावा, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह गणना शीट के साथ अद्यतन ब्याज के साथ प्रदान की गई राशि का प्रमाण रिकॉर्ड पर रखे।

22. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि, नीचे दिए गए विस्तृत विभाजन के अनुसार कुल मुआवजे की राशि का भुगतान करें।

आवेदको के नाम	क्षतिपूर्ति राशि	ECS/NEFT के माध्यम से प्रारंभिक राशि दी जाएगी	वार्षिक योजना के तहत निवेश की जाने वाली राशि
आवेदक संख्या 1 कमला देवी w/o बृजा राय	रुपये 5 लाख +उपार्जित ब्याज	रुपए 1 लाख + उपार्जित ब्याज	केवल 4 लाख रुपए की शेष राशि को 10000/- रुपये के 40 सावधि जमा में विभाजित किया जाएगा और आरोही क्रम 1 से 40 में महीने की अवधि के लिए निवेश किया जाएगा। बैंक इसन्मे से प्रत्येक जमा की परिपक्कता पर संचित ब्याज के साथ संबंधित बैंक खाते में जमा करने के लिए मासिक राशि जारी करेगा।
आवेदक संख्या 2 जयराम सिंह s/o ब्रिजसिंह राजपूत	Rs 50000/- only.	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

आवेदक संख्या 3 यशवंत सिंह काकन s/o बृजा राय	Rs 50000/- only	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
आवेदक संख्या 4 धनजय s/o बृजा राय	Rs 50000/- only	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
आवेदक संख्या 5 शकुंतलाल देवी w/o संतोष सिंह	Rs 50000/- only	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
आवेदक संख्या 6 धुरूप कुमार सिंह बृजा राय	Rs 50000/- only	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
आवेदक संख्या 7 तारामती देवी w/o सुरेश राय	Rs 50000/- only	Nil	50000/- की क्षतिपूर्ति राशि दो वर्ष की अवधि के लिए दावेदार के नाम पर उसी बैंक में सावधि जमा में जमा की जाएगी। दावेदार समय समय पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

रेल दावा अधिकरण
अहमदाबाद पीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
AHMEDABAD BENCH

23. आवेदकों को इस बेंच की रजिस्ट्री में दो फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की एक-एक प्रति के साथ अपने स्थायी निवास स्थान के पास एक राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित / सहकारी बैंक के अपने बचत बैंक खाते)यदि दावा आवेदन में प्रस्तुत नहीं किया गया

है (का विवरण, जिस पर यह आवश्यक पृष्ठांकन हो कि कोई डेबिट कार्ड/ चेक बुक जारी नहीं किया गया है, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसके बाद बैंक को पासबुक पर पृष्ठांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

24. रेलवे दावा अधिकरण, अधिनियम 1987 की धारा 19 की उप धारा (2) के तहत आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश के 30 दिनों के भीतर रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को फॉर्म 15जी या फॉर्म 15 एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) को जमा कराएं अन्यथा, रेलवे प्रशासन आयकर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत लागू TDS की कटोती करेगा।

25. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि जब तक दावेदार के स्थायी निवास स्थान के पास बैंक में बचत बैंक खाते की पासबुक आवश्यक पृष्ठांकन के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक पुरस्कार राशि के संवितरण को स्थगित कर दें।

26. रजिस्ट्री को आगे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि FDR युक्त विवरण संख्या /FDR राशि/ परिपक्कता की तिथि और परिपक्कता राशि बैंक द्वारा दावेदारों को प्रस्तुत की जाएगी।

27. आगे, हम संबंधित बैंक को निर्देश देना उचित समझते हैं कि:

(a) बैंक दावेदार के बचत बैंक खाते या सावधि जमा राशि में किसी भी सयुंक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा यानि दावेदारों का बचत बैंक खाता एक व्यक्तिगत बैंक खाता होगा न कि सयुंक्त खाता।

(b) बैंक दावेदार को कोई चेक बुक और डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा।हालांकि, यदि डेबिट कार्ड या चेक पहले से जारी किया जा चुका है,तो बैंक अवार्ड राशि के संवितरण से पहले उसे रद्द कर देगा।

(c) पीठ की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण , अग्रिम,निकासी या समय पूर्ण निर्वहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(d) बैंक दावेदारों की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई चेक बुक और /या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है।

(e) दावाकर्ताओं को FDR संख्या/ FDR राशि/ परिपक्वता की तिथि और परिपक्वता राशि वाला विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(f) बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या ई-भुगतान प्लेटफॉर्म से आवेदक के बचत बैंक से किसी भी तरह के डेबिट की अनुमति न दे और दावेदार को अपने बचत बैंक खाते से केवल निकासी फॉर्म (Withdrawal Form) से पैसे निकालने की अनुमति दे।

28. रेलवे दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1989 के नियम 34(3) के मद्देनजर रजिस्ट्री को इस फैसले की निशुल्क प्रमाणित प्रति सीधे प्रतिवादी को और आवेदकों को दावा आवेदन में उल्लेखित उनके डाक पते पर रजिस्ट्रर A.D. द्वारा भेजने के निर्देश दिया जाता है।

उपरोक्त के संदर्भ में, वर्तमान दावा आवेदन का निपटान किया जाता है। इस मामले की फाइल रिकार्ड रूम में भिजवाई जाए। कानूनी शर्तों में लागत पर कोई आदेश नहीं।

(राजकुमार मनोचा)
सदस्य तकनीकी

(विजयंत सिंह)
सदस्य न्यायिक

फैसला आज यानी 12.10.2023 को खुली अदालत में सुनाया और हस्ताक्षरित किया गया।

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 12.10.2023.

(राजकुमार मिनोचा)
सदस्य तकनीकी

(विजयंत सिंह)
सदस्य न्यायिक